राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–799/2024

शिवानी शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशा.) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सब डिविजन, हिण्डोन सिटी, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, केवियटर

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर उप खण्ड हिण्डोन सिटी करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से ग्रामीण उपखण्ड गंगापुर सिटी, (उदईकला) सवाईमाधोपुर में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षाकाल में है। ऐसे में अपीलार्थी का परिवीक्षाकाल की अवधि के दौरान स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति दी गयी थी। ऐसे में अपीलार्थी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने से पूर्व ही स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.12.2022 को होने के पश्चात अपीलार्थी का एक बार पूर्व में भी स्थानान्तरण किया जा चुका है। जिसमें अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं थी। अतः अपीलार्थी की यह आपत्ति कि उनका स्थानान्तरण परिवीक्षाकाल में किया गया है, उचित नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)